

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष नं.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक :- प.106/नि.अ.मा.वि./नव रा.छात्रा/पद सृजन/2016-17/पार्ट/ 9127

जयपुर, दिनांक: 07/12/2020

आदेश

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अलवर (164 बैडेड) के संचालन करने तथा उक्त छात्रावास के संचालन हेतु मानव संसाधन एवं आवश्यक सामग्री (आवर्तक/अनावर्तक) क्रय करने के लिये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर को लेखाशीर्ष 2225-04-277-(01)-[03] (राज्य निधि) के अन्तर्गत विभिन्न उप-मदों में स्वीकृत संख्यानुसार बजट राशि के हस्तान्तरण की स्वीकृति निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

लेखाशीर्ष	छात्रावास का नाम	पदनाम एवं लेवल ग्रेड-पे	संख्या
2225-04-277-(01)-[03]-01 संवैतन (राज्य निधि स्कीम)	राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अलवर	महिला छात्रावास अधीक्षक L-5 (ग्रेड पे 2400)	02

उक्त नवसृजित पद छात्रावास संचालित होने पर ही भरा जावे।

नवीन छात्रावास के सुरक्षा व्यवस्था, सफाई का कार्य व रसोईयों का कार्य तथा बर्तन, फर्नीचर, कपड़े बिस्तर, खाद्य सामग्री क्रय निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	टिप्पणी
1	सुरक्षा व्यवस्था	वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक 04.09.2013 की पालना करते हुए रेक्सको अथवा होमगार्ड के माध्यम से संविदा सेवा लेने की सहमति दी जाती है। उक्त सेवा कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए छात्रावास संचालन प्रारंभ होने पर ही ली जावे।
2	सफाई का कार्य व रसोईयों का कार्य	लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों एवं वित्त G&T विभाग के परिपत्र दिनांक 04.09.13 की शर्तों की पालना करते हुए संविदा सेवा की सहमति वित्त विभाग के पत्र दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण 14.07.2018 की पालना सुनिश्चित करते हुए इस शर्त के अध्याधीन दी जाती है कि उक्त सेवा कोविड-19 देखते हुए छात्रावास संचालन/आरंभ होने पर ही ली जावे।
3	बर्तन, फर्नीचर, कपड़े बिस्तर क्रय, खाद्य सामग्री क्रय	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 की पालना करते हुए क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ करने की राय दी जाती है। उक्त सामग्री का क्रय छात्रावास संचालन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर ही किया जावे। क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता अच्छी हो, इसका खास ध्यान रखा जावे।

Handwritten signature

कृ.प.उ.

राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास, अलवर:- लेखाशीर्ष 2225-04-277-(01)-[03]

क्र. सं.	उपमद	विवरण	राशि (लाखों में)	संख्या
1	01-संवैतन	छात्रावास अधीक्षक वेतन	1.00	02
2	41-संविदा व्यय	सुरक्षा व्यवस्था	1.00	6 सुरक्षाकर्मी
3	05-कार्यालय व्यय	फर्नीचर/पंलग/खाने व खाना बनाने के बर्तन आदि छात्रावास संचालन हेतु आवश्यक सामग्री /सीलिंग फैन/बिजली-पानी कनेक्शन/गैस कनेक्शन/टेलीफोन कनेक्शन आदि एवं रसोईया/सफाईकर्मी	5.00	विभागीय गाईडलाइन अनुसार सामग्री क्रय हेतु स्पेसिफिकेशन्स पृथक से प्रेषित किये जायेंगे।
4	58-कपडे बिस्तर	गद्दे/ब्रेडशीट/कम्बल/दरी/ तकिया/ड्रेस आदि	3.00	स्वीकृत छात्र संख्या/नोर्म्स अनुसार
5	61-खाद्य सामग्री	भोजन सामग्री/साबुन/तेल आदि	3.00	स्वीकृत छात्र संख्या/नोर्म्स अनुसार
योग			13.00	

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. क्रमांक 162000707 दिनांक 08.10.2020 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण एवं समक्ष स्तर से अनुमोदन उपरान्त जारी की जाती है।

(Handwritten Signature)
4.12.2020
(जमील अहमद कुरैशी)
निदेशक

जयपुर, दिनांक 8/12/2020

क्रमांक :- प.106/नि.अ.मा.वि./नव.रा.छात्रा./पद सृजन/2016-17/पार्ट/ 9/28-41

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी. संख्या 162000707 दिनांक 08.10.2020 के अनुसरण में।
4. महालेखाकर (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, अलवर।
7. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी (लेखा एवं हक), शासन सचिवालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
10. कोषाधिकारी, कोषालय, अलवर।
11. सहायक निदेशक द्वितीय, कार्यालय हाजा को वित्त विभाग की कार्यालय टिप्पणी सहित।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अलवर को प्रेषित कर लेख है कि छात्रावास संचालन/सामग्री क्रय की समस्त कार्यवाही सम्पन्न कर निदेशालय को अवगत कराया जावे।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाशाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करें।
14. सूचना सहायक को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

(Handwritten Signature)
4/12
(नसीम खान)
उप निदेशक